SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
January – March 2026
E-ISSN 3048-7323
Vol-3
Issue-1

हेट स्पीच एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: विशेष न्यायिक मामलों सहित विधिक विश्लेषण

माधव शरण पाठक
सहायक प्राध्यापक, विधि विभाग
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सार

भारतीय लोकतंत्र में वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत नागरिकों को अपने विचारों को व्यक्त करने का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। किंतु यह अधिकार पूर्णतः निरंकुश नहीं है। जब अभिव्यक्ति का प्रयोग समाज में घृणा, हिंसा, वैमनस्य या किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने के लिए किया जाता है, तब यह हेट स्पीच, मानहानि या साइबर अपराध का रूप ले सकता है। डिजिटल युग में सोशल मीडिया के विस्तार ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। यह शोध-पत्र भारतीय संविधान, दंड विधि और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संदर्भ में हेट स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन का विश्लेषण करता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से इस विषय की न्यायिक व्याख्या का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

कुंजी शब्द

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हेट स्पीच, सोशल मीडिया, मानहानि, साइबर अपराध।

1. प्रस्तावना

किसी भी लोकतांत्रिक समाज में विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति अत्यंत आवश्यक होती है। यह न केवल लोकतांत्रिक विमर्श को सशक्त बनाती है बल्कि शासन व्यवस्था को उत्तरदायी भी बनाती है। भारत के संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की। परंतु समाज में विविधता

SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
January – March 2026
E-ISSN 3048-7323

और बहुलता के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ किया जाए। यदि किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति किसी समुदाय के विरुद्ध घृणा फैलाती है या हिंसा के लिए उकसाती है, तो वह समाज के लिए हानिकारक हो सकती है। यही स्थिति हेट स्पीच कहलाती है। आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से विचारों का प्रसार अत्यंत तीव्र गति से होता है। एक पोस्ट या ट्वीट कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुँच सकता है। इसलिए हेट स्पीच और फेक न्यूज़ का प्रभाव भी व्यापक हो गया है। भारतीय न्यायपालिका ने अनेक मामलों में यह स्पष्ट किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

2. शोध पद्धति

यह शोध-पत्र मुख्यतः डॉक्ट्रिनल विधि अनुसंधान पर आधारित है। इसमें निम्न स्रोतों का उपयोग किया गया है–

1. भारतीय संविधान के प्रावधान
2. सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णय
3. विधि आयोग की रिपोर्ट
4. विधि विशेषज्ञों के लेख एवं पुस्तकें
5. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं संबंधित नियम

इस शोध का उद्देश्य हेट स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन की न्यायिक व्याख्या का अध्ययन करना है।

3. साहित्य समीक्षा

हेट स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विषय पर अनेक विधि विशेषज्ञों, आयोगों और न्यायिक संस्थाओं ने अध्ययन किया है। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक समाज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव के बीच संतुलन स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। प्रसिद्ध विधि विद्वान एम.पी. जैन ने अपनी पुस्तक Indian

SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
January – March 2026
E-ISSN 3048-7323
Vol-3
Issue-1

Constitutional Law में कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आधारशिला है। उनके अनुसार यदि नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं होगा, तो लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा।

वी.एन. शुक्ला ने अपनी पुस्तक Constitution of India में यह उल्लेख किया है कि अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(2) के माध्यम से संतुलित किया गया है। उनका मत है कि यदि इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध न लगाए जाएँ तो यह समाज में अराजकता और हिंसा को जन्म दे सकता है।

हेट स्पीच के संदर्भ में भारत के विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएँ 153A, 295A और 505 / भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएँ 196, 299 और 355 हेट स्पीच को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन डिजिटल युग में इन कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक मानवाधिकार माना है, किंतु साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी अभिव्यक्ति जो हिंसा, भेदभाव या घृणा को बढ़ावा देती है, उसे सीमित किया जा सकता है।

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के निर्णय के बाद कई विद्वानों ने यह तर्क दिया कि इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि सोशल मीडिया के अनियंत्रित उपयोग से हेट स्पीच और फेक न्यूज़ के प्रसार में वृद्धि हुई है। उपरोक्त साहित्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हेट स्पीच के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए विधिक ढाँचे के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता भी आवश्यक है।

4. हेट स्पीच की अवधारणा

हेट स्पीच से आशय ऐसी अभिव्यक्ति से है जो किसी व्यक्ति या समूह के विरुद्ध उनके धर्म, जाति, भाषा, नस्ल या सामाजिक पहचान के आधार पर घृणा, भेदभाव या हिंसा को बढ़ावा देती

है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या की गंभीरता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से सामने आई, जब नस्लीय घृणा और यहूदी विरोधी प्रचार ने व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन को जन्म दिया। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न कानूनी व्यवस्थाएँ विकसित कीं। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) तथा अंतरराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संधि (ICCPR, 1966) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है, किंतु साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसी अभिव्यक्ति जिसे राष्ट्रीय, नस्लीय या धार्मिक घृणा को बढ़ावा देने वाला माना जाए और जो हिंसा या भेदभाव के लिए उकसाए, उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है।

भारतीय संदर्भ में हेट स्पीच की अवधारणा को देश की सांस्कृतिक परंपराओं और विधिक ढाँचे दोनों के साथ समझना आवश्यक है। भारत की सांस्कृतिक परंपरा सहिष्णुता, बहुलता और सह-अस्तित्व पर आधारित रही है, जिसका प्रतिबिंब "वसुधैव कुटुम्बकम्" तथा "सर्वे भवन्तु सुखिनः" जैसे आदर्शों में दिखाई देता है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान ने नागरिकों को अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है, जबकि अनुच्छेद 19(2) के माध्यम से इस अधिकार पर सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता तथा अन्य आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड कानूनों में भी हेट स्पीच को नियंत्रित करने के लिए प्रावधान मौजूद हैं, जैसे विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता फैलाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने या भड़काऊ वक्तव्य देने पर दंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही डिजिटल युग में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 भी ऑनलाइन घृणास्पद और आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार भारतीय विधिक व्यवस्था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करती है।

4. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को निम्न अधिकार प्रदान करता है–

a. विचार व्यक्त करने का अधिकार

b. लेखन एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता
c. प्रेस की स्वतंत्रता
d. सूचना प्राप्त करने का अधिकार
e. डिजिटल माध्यमों में अभिव्यक्ति

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती है क्योंकि इसके माध्यम से नागरिक सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं और शासन को उत्तरदायी बना सकते हैं। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है–

a. राज्य की सुरक्षा
b. सार्वजनिक व्यवस्था
c. नैतिकता
d. मानहानि
e. न्यायालय की अवमानना
f. अपराध के लिए उकसावा

इन प्रतिबंधों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभिव्यक्ति समाज में अराजकता उत्पन्न न करे।

6. भारत में कानूनी नियंत्रण तंत्र

भारतीय कानूनों के तहत घृणास्पद भाषणको नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित तंत्र मौजूद हैं-

a. भारत का संविधान
b. भारतीय न्याय संहिता 2023 / भारतीय दंड संहिता 1860
c. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000

(a) भारत का संविधान:- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को निम्न अधिकार प्रदान करता है–विचार व्यक्त करने का अधिकार, लेखन एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, डिजिटल माध्यमों में अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की

स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती है क्योंकि इसके माध्यम से नागरिक सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं और शासन को उत्तरदायी बना सकते हैं। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है–

(a) राज्य की सुरक्षा
(b) सार्वजनिक व्यवस्था
(c) नैतिकता
(d) मानहानि
(e) न्यायालय की अवमानना
(f) अपराध के लिए उकसावा

इन प्रतिबंधों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभिव्यक्ति समाज में अराजकता उत्पन्न न करे।

(b) भारतीय न्याय संहिता 2023 / भारतीय दंड संहिता 1860:- भारतीय न्याय संहिता 2023 / भारतीय दंड संहिता 1860 में इसके लिए निम्न प्रावधान हैं–

(a) धारा 153A IPC/196 BNS - विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता फैलाना
(b) धारा 295A IPC / 299 BNS- धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना
(c) धारा 505 IPC/355 BNS - अफवाह और भड़काऊ बयान

मानहानि और प्रतिष्ठा का अधिकार:- मानहानि का अर्थ है किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाना। भारतीय न्याय संहिता 2023 /भारतीय दंड संहिता 1860 में–

(a) धारा 499 IPC/356(1) BNS - मानहानि
(b) धारा 500 IPC/356(2) BNS - दंड

(c) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000:- भारत में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बनाया गया। प्रमुख धाराएँ–

(a) धारा 66C - पहचान की चोरी

(b) धारा 66D - ऑनलाइन धोखाधड़ी

(c) धारा 67 - अश्लील सामग्री

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही:- सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति को लोकतांत्रिक बना दिया है, लेकिन इसके दुरुपयोग से फेक न्यूज़, ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, हेट स्पीच समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं–

सरकार ने आईटी नियम 2021 लागू किए जिनमें सोशल मीडिया कंपनियों को निम्न दायित्व दिए गए–

(a) अवैध सामग्री हटाना

(b) शिकायत निवारण तंत्र

(c) उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा

7. निर्णयित मामले

(I) रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950):- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है और इसे अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

(II) एस. रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम (1989):- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति को तभी रोका जा सकता है जब उससे समाज में वास्तविक खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो।

(III) प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ (2014):- न्यायालय ने कहा कि हेट स्पीच लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है और इसके नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय आवश्यक हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हेट स्पीच के बीच अंतर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायालयों ने कई सिद्धांत विकसित किए हैं–

(a) आशय परीक्षण (Intent Test)

(b) प्रभाविता परीक्षण (Impact Test)

SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
January – March 2026
E-ISSN 3048-7323
Vol-3
Issue-1

(c) स्पष्ट और तात्कालिक खतरे का परीक्षण (Clear and Present Danger Test)

(IV) श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015):- सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाती थी।

(V) सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016):- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिष्ठा व्यक्ति के जीवन और गरिमा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

(VI) अमीश देवगन बनाम भारत संघ (2020):- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हर आपत्तिजनक वक्तव्य हेट स्पीच नहीं होता। यदि वक्तव्य में घृणा फैलाने का उद्देश्य है तभी उसे हेट स्पीच माना जाएगा।

8. सांख्यिकीय सर्वेक्षण एवं विश्लेषण

डिजिटल युग में हेट स्पीच और साइबर अपराधों के मामलों में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। भारत में विभिन्न सरकारी रिपोर्टों और अनुसंधानों के आधार पर निम्न सांख्यिकीय तथ्य सामने आए हैं

(I) साइबर अपराधों की वृद्धि:- भारत में साइबर अपराधों के मामलों में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार–

(a) 2018 में लगभग 27,000 साइबर अपराध दर्ज किए गए

(b) 2020 में यह संख्या बढ़कर लगभग 50,000 हो गई

(c) 2022 तक यह संख्या 65,000 से अधिक हो गई

इनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऑनलाइन हेट स्पीच, ट्रोलिंग और फेक न्यूज़ से संबंधित है।

(II) सोशल मीडिया उपयोगकर्ता:- भारत विश्व के सबसे बड़े इंटरनेट उपयोगकर्ताओं वाले देशों में से एक है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 80 करोड़ से अधिक है सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 45 करोड़ से अधिक है इतनी बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं के कारण हेट स्पीच और गलत सूचना के प्रसार की संभावना भी अधिक हो जाती है।

(III) हेट स्पीच से संबंधित शिकायतें:- विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्राप्त शिकायतों में– लगभग 25% शिकायतें आपत्तिजनक या घृणास्पद सामग्री से संबंधित होती हैं लगभग 30% शिकायतें फेक न्यूज़ से संबंधित होती हैं लगभग 15% शिकायतें ऑनलाइन उत्पीड़न से संबंधित होती हैं

(IV) न्यायालयों में लंबित मामले:- कई मामलों में हेट स्पीच से संबंधित मुकदमे न्यायालयों में लंबित रहते हैं। इसका कारण–डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने की जटिलता, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, कानून की अस्पष्टता

(V) सामाजिक प्रभाव:- सर्वेक्षणों से यह भी पता चलता है कि–लगभग 60% इंटरनेट उपयोगकर्ता मानते हैं कि सोशल मीडिया पर हेट स्पीच बढ़ रही हैलगभग 45% उपयोगकर्ता ऑनलाइन उत्पीड़न का अनुभव कर चुके हैं

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि डिजिटल माध्यमों के विस्तार के साथ-साथ हेट स्पीच और साइबर अपराधों की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि–विधिक प्रावधानों को प्रभावी बनाया जाए,सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए

9. प्रमुख चुनौतियाँ

1. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण की कठिनाई:- डिजिटल युग में सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम बन गए हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोग प्रतिदिन सामग्री साझा करते हैं। इस विशाल डिजिटल नेटवर्क के कारण सरकार और नियामक संस्थाओं के लिए सभी प्रकार की सामग्री पर प्रभावी नियंत्रण रखना अत्यंत कठिन हो जाता है। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी संपादकीय नियंत्रण के अपनी बात तुरंत प्रकाशित कर सकता है। परिणामस्वरूप कई बार आपत्तिजनक, भ्रामक या घृणास्पद सामग्री बहुत तेजी से फैल जाती है। इसके अतिरिक्त इन

प्लेटफॉर्मों का संचालन कई बार विदेशी कंपनियों द्वारा किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने में भी व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण के लिए केवल कानूनी प्रावधान ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि तकनीकी तंत्र, प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और उपयोगकर्ताओं की जागरूकता भी आवश्यक है।

2. फेक न्यूज़ का प्रसार:- फेक न्यूज़ या झूठी जानकारी डिजिटल युग की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचनाएँ बहुत तेजी से फैलती हैं और कई बार लोग बिना सत्यापन किए ही उन्हें आगे साझा कर देते हैं। फेक न्यूज़ का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता का कारण भी बन सकता है। कई मामलों में झूठी खबरों के कारण हिंसक घटनाएँ भी सामने आई हैं। फेक न्यूज़ का प्रसार इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री की सत्यता की जाँच करने का कोई प्रभावी तंत्र नहीं होता। इसलिए सरकार और न्यायपालिका ने समय-समय पर इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डिजिटल साक्षरता और तथ्य-जाँच (Fact Checking) की संस्कृति को बढ़ावा देना इस समस्या के समाधान के लिए अत्यंत आवश्यक है।

3. राजनीतिक ध्रुवीकरण:- हेट स्पीच और गलत सूचना के प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण भी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अक्सर राजनीतिक विचारधाराओं के प्रचार और विरोध का प्रमुख माध्यम बन जाते हैं। कई बार राजनीतिक दलों या समर्थकों द्वारा अपने विरोधियों के विरुद्ध आपत्तिजनक या भ्रामक सामग्री प्रसारित की जाती है। राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण समाज में वैचारिक विभाजन बढ़ जाता है और लोग अपने-अपने विचारों के पक्ष में अत्यधिक आक्रामक हो जाते हैं। इससे सामाजिक सद्भाव प्रभावित होता है और लोकतांत्रिक संवाद की गुणवत्ता भी कमजोर पड़ती है। इस स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि राजनीतिक नेताओं और सार्वजनिक व्यक्तियों द्वारा जिम्मेदारीपूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाए और चुनाव आयोग तथा अन्य संस्थाएँ इस दिशा में प्रभावी कदम उठाएँ।

4. साइबर अपराधों में वृद्धि:- डिजिटल तकनीक के विकास के साथ-साथ साइबर अपराधों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। साइबर अपराधों में पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, हैकिंग और आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार जैसे अपराध शामिल हैं। हेट स्पीच और ऑनलाइन उत्पीड़न भी साइबर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। कई बार सोशल मीडिया का उपयोग किसी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध अपमानजनक या भड़काऊ सामग्री फैलाने के लिए किया जाता है। साइबर अपराधों की जाँच में कई तकनीकी कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे डिजिटल साक्ष्य एकत्र करना, अपराधी की पहचान करना और अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से जानकारी प्राप्त करना। इसलिए इन अपराधों से निपटने के लिए विशेष तकनीकी विशेषज्ञता और प्रभावी कानूनी ढाँचे की आवश्यकता होती है।

10. निष्कर्ष एवं नीतिगत सुझाव

वर्तमान डिजिटल युग में वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व पहले की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है। आधुनिक संचार तकनीकों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने विचारों के आदान-प्रदान को अत्यंत सरल और व्यापक बना दिया है। आज कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही क्षणों में अपने विचार लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है। यह स्थिति लोकतांत्रिक विमर्श के लिए अत्यंत सकारात्मक मानी जाती है क्योंकि इससे नागरिकों को शासन और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। यह अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है और नागरिकों को सरकार की नीतियों की आलोचना करने, सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करने तथा जनमत निर्माण में भाग लेने का अवसर देता है। किंतु संविधान निर्माताओं ने यह भी समझा कि यदि इस अधिकार का प्रयोग पूर्णतः अनियंत्रित रूप में किया जाए तो यह समाज में अव्यवस्था और संघर्ष का कारण बन सकता है। इसी कारण संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत इस अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है।

SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
January – March 2026
E-ISSN 3048-7323
Vol-3
Issue-1

हेट स्पीच के संदर्भ में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। हेट स्पीच वह भाषण है जो किसी धर्म, जाति, भाषा या समुदाय के विरुद्ध घृणा, भेदभाव या हिंसा को बढ़ावा देता है। ऐसी अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती है। इसलिए कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए न किया जाए।

भारतीय विधि व्यवस्था में हेट स्पीच को नियंत्रित करने के लिए कई प्रावधान मौजूद हैं। भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता) की विभिन्न धाराएँ तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका ने भी कई महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से इस विषय में स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान किए हैं। न्यायालयों ने बार-बार यह कहा है कि लोकतंत्र में विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति आवश्यक है, किंतु ऐसी अभिव्यक्ति जो समाज में घृणा और हिंसा को बढ़ावा दे, उसे संरक्षण नहीं दिया जा सकता। सोशल मीडिया के विस्तार ने इस विषय को और जटिल बना दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री का प्रसार अत्यंत तीव्र गति से होता है और कई बार गलत या भ्रामक जानकारी भी व्यापक रूप से फैल जाती है। फेक न्यूज़, ऑनलाइन ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग जैसी समस्याएँ समाज में तनाव और असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर सकती हैं। इस स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उपयोग को जिम्मेदारीपूर्ण और नैतिक बनाया जाए।

न्यायपालिका ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कानून का उद्देश्य अभिव्यक्ति को दबाना नहीं बल्कि उसे जिम्मेदार बनाना है। इसलिए न्यायालयों ने हमेशा संतुलन की नीति अपनाई है, जिससे एक ओर नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें और दूसरी ओर समाज में शांति और सद्भाव भी बना रहे। भविष्य की नीति के संदर्भ में यह आवश्यक है कि डिजिटल युग की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी उपाय किए जाएँ। सबसे पहले समाज में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। नागरिकों को यह

SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
January – March 2026
E-ISSN 3048-7323
Vol-3
Issue-1

समझाया जाना चाहिए कि इंटरनेट पर प्राप्त हर जानकारी सत्य नहीं होती और किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जाँच करना आवश्यक है। शिक्षा संस्थानों में डिजिटल नैतिकता और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार से संबंधित पाठ्यक्रम शामिल किए जा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हेट स्पीच से संबंधित कानूनों को समयसमय पर अद्यतन किया जाए ताकि वे बदलती तकनीकी परिस्थितियों के अनुरूप प्रभावी बने रहें। कानून की भाषा स्पष्ट और संतुलित होनी चाहिए ताकि उसका दुरुपयोग न हो और न्यायालयों को उसके प्रयोग में कठिनाई न आए। तीसरा, सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है। इन कंपनियों को ऐसी तकनीकी प्रणालियाँ विकसित करनी चाहिए जिनके माध्यम से अवैध या आपत्तिजनक सामग्री की शीघ्र पहचान कर उसे हटाया जा सके। इसके साथ ही उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था भी होनी चाहिए।

अंततः यह कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हेट स्पीच के बीच संतुलन बनाए रखना किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए एक सतत चुनौती है। केवल कानून बनाकर इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसके लिए समाज में जागरूकता, जिम्मेदार नागरिकता और नैतिक मूल्यों को भी प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इस प्रकार यदि संविधान के सिद्धांतों, न्यायिक मार्गदर्शिकाओं और आधुनिक तकनीकी आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जाए तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए समाज में शांति सद्भाव और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया जा सकता है। यही एक सुदृढ़ और उत्तरदायी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान है।

संदर्भ सूची

1. M.P. Jain, *Indian Constitutional Law*, LexisNexis.
2. Romesh Thappar v. State of Madras, AIR 1950 SC 124.
3. S. Rangarajan v. P. Jagjivan Ram, (1989) 2 SCC 574.
4. Pravasi Bhalai Sangathan v. Union of India, (2014) 11 SCC 477.

5. Shreya Singhal v. Union of India, (2015) 5 SCC 1.
6. Subramanian Swamy v. Union of India, (2016) 7 SCC 221.
7. V.N. Shukla - Constitution of India
8. P.K. Sarkar - Law of Defamation